न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 21/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

विष्णु पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 07 जोड़कीया पुलिस थाना घमूड़वाली जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थी

उपस्थितः— 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी गैरहाजिर।

—:निर्णयः— दिनांकः—15.05.2024

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2020 के वक्त 12.10 पी.एम. पर श्री अरुण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी रावतसर ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि थाना हाजा के श्री ओमप्रकाश एएसआई ने मय हमराही मुलाजमान के गश्त के दौरान सड़क आम रोही खोडा में दो पिकअप गाड़ीयो को रूकवाया जिनमें अवैध डीजल भरा हुआ है। दो गाड़ीयो में डीजल की मात्रा 2500 लीटर से अधिक है। दोनों गाड़ीया जिनमें 2500 लीटर से अधिक डीजल है वे दोनों मय चालक के थाना परिसर में खड़ी है। थाना परिसर में खड़ी एक पीकअप गाड़ी का निरीक्षण किया। बोलेरो पिकअप के आगे नम्बर आर जे 13 जी.बी. 5101 लिखे है। बोलेरो पिकअप गाड़ी का चालक गाड़ी के पास में है जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई उम्र 22 साल निवासी वार्ड न० 7 जोड़कीया पुलिस थाना घमूड़वाली बताया। गाड़ी के पिछे डाला में प्लास्टिक के ड्रम रखे हुये है। जिनमें छः ड्रम हरे रंग के तथा चार नीले रंग के ब एक—एक लाल व काला रंग का है। सभी ड्रमों के ढक्कन खोलकर देखा गया तो 220—220 लीटर डीजल से भरे हुये है। इस प्रकार कुल 2640 लीटर डीजल है। इतनी मात्रा में डीजल अपने कब्जा रखना, भण्डारण करना, विक्रय करना एवं परिवहन करने के संबन्ध में चालक विष्णु से लाईसेंस/प्रमिशन के बारे में पूछा तो अपने पास कुछ नहीं होना बताया तथा बताया कि मैं हरियाणा राज्य से आशीष के एस के पन्ट्रोल पम्प से 64 रूपये 11 पैसे प्रति लिटर के हिसाब से डीजल खरीद करके लाया हूँ। हमारे गांव व आस पास के गावों में 69 रूपये प्रति लिटर के हिसाब से बेचान करता हूँ व तीन चार चक्कर चोरी छिप्पे इन दिनो में लगा चुका हूँ। इस प्रकार भारत सरकार व राज्य सरकार के लोक डाउन के आदेशो के दौरान निर्धारित मात्रा (2500 लीटर डीजल) से अधिक डीजल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट एवं 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर उक्त पिकअप गाड़ी को मय डीजल से भरे ड्रमो को बतौर वजह सबूत कब्जा में लिया। पिकअप गाडी नं आर जे 13 जी.बी. 5101 में कोई कागजात नहीं मिले ना ही चालक द्वारा अपने पास गाडी के कागजात होना बताये। जिस पर गाडी का निरीक्षण किया गया तो गाडी के ई०नं० टी बी जे 4 जी 78865 अंकित है। शक्स विष्णु पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई उम्र 22 साल निवासी वार्ड न0 7 जोड़कीया पुलिस थाना घमूड़वाली को वक्त 05.50 पीएम पर हस्ब कायदा जुदागाना जरिये फर्द अलग से गिरफ्तार किया गया। मूल फर्द मय वजह सबुत थानाधिकारी पुलिस थाना रावतसर के पेश कर अभियोग संख्या 165/2020 जुर्म धारा 3/7 ई/सी एक्ट एवं 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया। प्रकरण हाजा में जप्त शुदा तेल के ड्रम जो ज्वलनशील पदार्थ है तथा थाना परिसर में पड़ा है जिसमे रिसाव भी होने की सम्भावना से ईन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि जप्त शुदा डीजल का नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस ज[illegible] को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को [illegible] रसद अधिकारी, [illegible]ढ़ को अन्तरिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:31 IST
Reason: SelfAttested

निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 21.05.2020 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 03.02.2022 को नोटिस जारी होने के बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ परन्तु अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 07.04.2022 को अप्रार्थी की अनपस्थिति दर्ज की गयी।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वृताधिकारी, वृत रावतसर द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप नं. RJ13-GB-5101 में कुल 2640 लीटर डीजल परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। इस प्रकार भारत सरकार व राज्य सरकार के लोक डाउन के आदेशो के दौरान निर्धारित मात्रा (2500 लीटर डीजल) से अधिक डीजल अपने कब्जा में रखना व परिवहन करना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट एवं 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के पीकअप अवैध डीजल तेल रखना, परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। वर्तमान प्रकरण में बोलेरो पिकअप नं. RJ13-GB-5101 में कुल 2640 लीटर डीजल पाया गया है जबकि केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद ही कोई व्यक्ति रख सकता है। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि किस उद्देश्य से उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, रावतसर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 2640 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम को न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, नोहर द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 21.05.2020 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा बोलेरो पिकअप नं. RJ13-GB-5101 का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2023 से वाहन मालिक संदीप कुमार पुत्र श्री भगवाना राम को सुपुर्दगी में दिया जा चुका है, उसका अन्तिम निस्तारण न्यायिक कोर्ट के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ व थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:31 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़